(60)

संख्या–811 /XXVIII–5–2011–111/2008

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांकः 30 मई,2011

विषयः **महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–7प/1/उच्चीकरण/30/2008/4445, दिनांक 17.02.2011 के संदर्भ में तथा शासनादेश सं0–416/XXVIII–5–2008–111/2008, दिनांक 16.03.2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य योजना के अन्तर्गत महिला चिकित्सालय, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के भवन निर्माण हेतु अनुमोदित ——— लागत ₹354.95 लाख के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹150.00 लाख के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में सम्पूर्ण अवशेष ₹204.95 लाख (रूपये दो करोड़ चार लाख पिचानब्बे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए, निम्न शर्तो के अधीन व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त धनराशि आहरित कर परियोजना प्रबन्धक, निर्माण ईकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रामनगर को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए कार्य को पूर्ण कर भवन विभाग को हस्तगत कर दिया जायेगा। विलम्ब हेतु किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नही किया जायेगा।

2– स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह का 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय इसी वित्तीय वर्ष में करते हुए वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 में इंगित निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय आय–व्ययक वर्ष 2011–12 के अनुदान सं0–12 के लेखाशीर्षक 4210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 00– आयोजनागत, 02–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें, 110–अस्पताल तथा औषधालय, 05–तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा निर्माण, 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31.03.2011 के अनुपालन में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या-911 (1)/XXVIII–5–2011–111/2003 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
5– वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
8– मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/नैनीताल।
9– अपर सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड ।
10– परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम लि0, उत्तराखण्ड।
11– बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
12– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
13– मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून ।
14– गार्ड फाईल।

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव